

प्रकरण सं० 53/22 अनवान मोहित बनाम राम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

Continuation Note Sheet

26.5.25

वकील उभयपक्षा उपर प्रतिवादी स्

द्वारा प्रस्तुत पार्थना पत्र 0-7-21, 151 CP
स्वीकार किया जाकर मूल कद खारिज कि
जा चुका है। मूल कद के खारिज होने से
पुकरण का कोई औचित्य शेष नहीं रह जा
अतः इस पुकरण को भी खारिज किया जाता
पडावली दायरा नम्बर से कम होकर कद
तकमील जाकर दारिदल अमिले खाग रहे।

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

1
0
2
3
4
5
6
7